पत्रांकः— वन भूमि—80 / 2022..................... / प०व०ज०प०

बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेषक,

सुधीर कुमार,
वन संरक्षक—सह—अपर सचिव।

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय),
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, द्वितीय तल,
झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड मुख्यालय,
हरमू चौक राँची, झारखण्ड,
राँची—834002

पटना—15, दिनांक..........................

विषय :— नालंदा जिलान्तर्गत गंगा जल उद्वह योजना के तहत राजगीर एवं आस—पास क्षेत्रों में पेयजल आपूर्त्ति के लिए पाईप लाईन बिछाने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 2.1666 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि विषयांकित प्रस्ताव कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, बिहारशरीफ द्वारा समर्पित किया गया है, जो प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना के अनुमोदनोपरांत नोडल पदाधिकारी, (वन संरक्षण), बिहार की अनुशंसा के साथ प्राप्त हुआ है।

विषयांकित पथ बिहार सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परितर्वन विभाग की विभिन्न अधिसूचनाओं के अंतर्गत "सुरक्षित वन" के रूप में अधिसूचित है। प्रस्तावित परियोजना निर्माण में 2.1666 हे० वन भूमि का अपयोजन प्रस्तावित है। प्रस्तावित परियोजना का निर्माण अंदर ग्राण्ड पाईप लाईन बिछाते हुए किया जाना है। जिसके कारण से परियोजना निर्माण के क्रम में वृक्षों का पातन प्रस्तावित नहीं किया गया है, अपयोजित होने वाली वन भूमि की विवरण निम्नवत् है :—

Sl. No.	Purpose	Status of Forest Land		
		Type	Status	Forest land
1	Laying of pipeline	Linear	Notified As PF-Road	1.8059
2	Laying of pipeline	Linear	Rajgir wildlife sanctuary and Rajgir PF	0.2247
3	Construction of ESR & Sump	Block	Rajgir wildlife sanctuary and Rajgir PF	0.0900
4	Laying of pipeline	Linear	Notified As jethian PF (National Forest)	0.0060
5	Construction of GLSR	Block	Notified As jethian PF (National Forest)	0.0400
			Total Ara (in Ha)	**2.1666**

राजगीर वन्यप्राणी आश्रयणी अंतर्गत अपयोजित होने वाली 0.3147 हे० वन भूमि के लिये राष्ट्रीय वन्यप्राणी पर्षद की स्थायी समिति की 69 वी बैठक दिनांक—29.07.2022 की अनुशंसा के आलोक में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक—सह—मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, बिहार, पटना के पत्रांक—557 दिनांक—02.09.2022 द्वारा अनुमति प्रदान किया गया है, जिसे संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

अपयोजित होने वाली वनभूमि को दर्शाते हुए मूल टोपो सीट एवं Geo-referenced नक्शा संलग्न है। प्रस्तावित स्थल का वानस्पतिक घनत्व 0.2 है।

अपयोजित होने वाली वनभूमि के लिए जिला पदाधिकारी, नालंदा द्वारा FRA, 2006 प्रमाण–पत्र निर्गत नहीं किया गया है परन्तु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक–11–43/2013–FC दिनांक–26.02.2019 के आलोक में बिना FRA, 2006 प्रमाण–पत्र के ही प्रस्ताव पर स्टेज–1 की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु अग्रसारित किया जा रहा है।

परियोजना निर्माण के क्रम में कुल 2.1666 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वनीकरण हेतु दुगुना 4.332 हे0 अवकृष्ट वन भूमि को नालंदा वन प्रमंडल के राजगीर वन प्रक्षेत्र के घोड़ाकटोरा PF को चिन्हित करते हुए 20,75,581/–(बीस लाख पचहत्तर हजार पाँच सौ ईक्कासी रूपये) मात्र प्राक्कलन वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया से प्राप्त की गयी है। क्षतिपूरक वनीकरण के लिए चिन्हित वन भूमि का Geo-referenced नक्शा एवं वन भूमि क्षतिपूरक वनीकरण के लिए उपर्युक्त है का प्रमाण पत्र भी प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

वन (संरक्षण), अधिनियम, 1980 के तहत निम्नांकित शर्त्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जाती है :–

1. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
2. परियोजना में आश्रयणी अंतर्गत अपयोजित होने वाली 0.3147 हे० वन भूमि के लिये रू० 9.57780 लाख प्रति हे० X 5 के दर से रू० 15,07,067/– एवं परियोजना में आश्रयणी के बाहर अपयोजित होने वाली 1.8519 हे० वन भूमि के लिए 9.57780 लाख प्रति हे० के दर से रू० 17,73,713/– कुल रू० 32,80,780/–(बत्तीस लाख अस्सी हजार सात सौ अस्सी रूपये) मात्र नेट प्रजेन्ट भेल्यू (NPV) के मद में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
3. अपयोजित होने वाली 2.1666 हे० वनभूमि के बदले में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिये नालंदा वन प्रमंडल बिहारशरीफ के राजगीर प्रक्षेत्र अंतर्गत 4.332 हे० अवकृष्ट वनभूमि में घोडाकटोरा सुरक्षित वन भूमि को चिन्हित करते हुए क्षतिपूरक वनीकरण का प्राक्कलन प्रस्ताव के साथ संलग्न है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण की राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा तात्कालिक मजदूरी दर पर उपलब्ध करायी जाएगी।

प्रस्ताव को संलग्न अभिलेख सहित भेजते हुए अनुरोध है कि उपर्युक्त प्रस्ताव के संदर्भ में लिये गये निर्णय से राज्य सरकार को संसूचित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन
ह०/–
(सुधीर कुमार)
वन संरक्षक–सह–अपर सचिव

ज्ञापांक :– वन भूमि–80/2022............./प०व०ज०प०, पटना–15, दिनांक...

प्रतिलिपि :–प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार/कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, बिहारशरीफ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(सुधीर कुमार)
वन संरक्षक–सह–अपर सचिव

ज्ञापांक :– वन भूमि–80/2022 895 (वि.)/प०व०ज०प०, पटना–15, दिनांक 05/12/2022

प्रतिलिपि :–आई०टी० मैनेजर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को निदेश दिया जाता है कि प्रस्ताव को मंत्रालय के वेब–साईट पर अपलोड करते हुए पार्ट–2 उपलब्ध कराया जाय।

2/12/2022
(सुधीर कुमार)
वन संरक्षक–सह–अपर सचिव

VR S One-255

Van Bhumi:-80/2022

PART-V

(To be filled in by the Secretary Charge of forest Department or by any other authorizes officer of the State Government not below the rank of an Under Secretary)

Adverse comments made by any officer or authority in Part-B or Part-C or Part-D above should be specifically commented upon.	The proposed diversion of 2.1666 ha. forest land for installation of New Pipeline to carry pure water under Nalanda District may be sanctioned subject to the condition/stipulation mentioned in the forwarding letter.

Signature:- Sudhir Kumar

Date:- 2/12/2022

Place:- PATNA

Name of Designation:- अवर सचिव

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

बिहार, पटना

Official Seal:-

V.R. Memo 24